न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 170/2021

1. श्रीमती सुमित्रा पुत्री भींवाराम पत्नी श्री पिदमण जाति घेजारा कुमावत निवासीनी ग्राम भोज्याणा बेरी तहसील व जिला सीकर हाल आबाद ग्राम रघुनाथगढ तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थीया–

बनाम

1. नाथू
2. कजोड़ पुत्रगण स्व0 कजोड़
3. बालूलाल पुत्र स्व0 भींवाराम
4. विश्वनाथ पुत्र रूघनाथ
5. सीताराम पुत्र हनुमान
6. श्रीमती विमला देवी पत्नी बाबूलाल समस्त जाति कुमावचत निवासीगण ग्राम रघुनाथगढ तहसील व जिला सीकर ।
7. तहसीलदार, सीकर
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रघुनाथगढ जिला सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थीगण– श्री विजय शर्मा एवं रोशनी
वकील अप्रार्थीगण संख्या 3 व 6 – श्री विनोद कुमार मीणा

निर्णय

दिनांक : 1.08.2022

वकील प्रार्थीया ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण/प्रार्थीया एवं प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का सजरा खानदान एक ही है। ग्राम रघुनाथगढ तहसील व जिला सीकर की तन में पैतृक

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

कृषि भूमि खसरा नम्बर 2645/1126, 2644/1126 जिसके पुराने खसरा नम्बर 630 जो खसरा नम्बर 1126 का ही भाग है। इसी प्रकार ग्राम नाडा की ढाणी में खसरा नम्बर 754 अवस्थित है। जिसका पूर्व में खातेदार नाराणा था तथा उसके पश्चात सांवला, रूघनाथ व हनुमान काबिज हुऐ । वादिया के पिता स्व0 भींवाराम जो खसरा नम्बर 1126 के 1/2 भाग पर काबिज काश्त थे। परन्तु खसरा नम्बर 1126 का खातेदार सांवला की मृत्यु के बाद राजस्व अधिकारियों की गलती से कजोड़ का नाम ही अंकित कर दिया गया । गलत खातेदारी की आड़ में दिनांक 31.12.2002 को खसरा नम्बर 1126 रकबा 1.60 है0 में से 1.24 है0 भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 6 के हक में करवा दिया । जिसकी आड़ में उन्होने वादिया के हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की तथा अपना हिस्सा छोड़कर चले जाने की धमकी दी। जिस पर पटवार हल्का जाकर राजस्व रिकार्ड की जानकारी ली जिससे पता चला कि उन्होने गलत खातेदारी दर्ज करवा ली। गलत खातेदारी की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादिया संख्या 6 को दिनांक 31.12.2007 को एक विक्रय पत्र पंजिबद्व करवा दिया जो बिना प्रतिफल राशि अदा किये जाने के कारण अवैध एवं प्रभावहीन है एवं विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया उक्त अविभाजित भूमियों पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। दिनांक 5.8.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 6 ने प्रार्थीया के कब्जे शुदा भूमि में आकर बेदखल करने की धमकी दी। जिसके कारण प्रार्थीया को विश्वास हो गया कि वो अपनी भूमि को संयुक्त रूप से रखेगी तो वे कब्जा कर लेगें एवं उसे बेदखल कर देगें। इसलिये प्रार्थीया का 1/4 भाग अलग किया जावे व विधिक बंटवारा किया जावे। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे। प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीया की भूमि को अन्य हस्तान्तरण नहीं करें तथा उसके उपयोग उपभोग में बाधा डालने से बाज रहें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 3 व 6 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1,2,4,5,7 व 8 उपस्थित नहीं रहे इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 6 ने जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब में प्रार्थीया के कथनों का खण्डन करते हुऐ अंकित किया कि विवादित भूमियां खसरा नम्बर 2645/1126, 2644/1126 व 1126 वादिया की पैतृक भूमियों नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 ने भूमि के खातेदारों से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। खसरा नम्बर 754 वादिया एवं प्रतिवादी सं0 3 की पैतृक भूमि है। प्रतिवादी संख या 6 अपनी क्रय की गई भूमि पर शातिपूर्वक काबिज

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

काश्त है। जिनसे भूमि क्रय की गई है उन्हे विरासत से भूमि प्राप्त हुई है। वादिया का कोई कब्जा काश्त नहीं है। जो विक्रय पत्र करवाया गया है वह सही है जिसे निरस्त करवाने का अधिकार वादिया को नहीं है। खसरा नम्बर 754 से प्रतिवादी संख्या 6 जवाबदाता का कोई लेना देना नहीं है। शेष भूमियों में वादिया का कोई अक अधिकार कब्जा काश्त नहीं है ना ही राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हुआ है। गलत कथन किये गये हैं। जवाबदातागण द्वारा प्रार्थीया को कोई धमकी नहीं दी गई है । गलत तथ्यों के आधार पर दावा एवं आवेदन पेश किये गये है। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तींन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 2645/1126 रकबा 0.3600 है0 की खातेदारी नाथू पुत्र कजोड. हिस्सा 1/2 एवं लालचन्द पुत्र कजोड़ हिस्सा 1/2 दर्ज है। खसरा नम्बर 2644/1126 रकबा 1.24 है0 की खातेदारी बिमलादेवी पत्नी बाबूलाल घासोलिया के नाम दर्ज है तथा सम्पूर्ण खाता पीएनबी के रहन है। खसरा नम्बर 754 की खातेदारी बाबूलाल पुत्र भींवाराम हिस्सा 1/3, विश्वनाथ पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/3 एवं सीताराम पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3 दर्ज है। खसरा नम्बर 1126 पुराने खसरा नम्बर 630 से बनना मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2041 से 60 से प्रमाणित है। सम्वत 2011 से 14 की जमाबंदी में खसरा नम्बर 630 व 465 की खातेदारी सांवला पुत्र नाराणा के नाम दर्ज है। संवत 2019 से 22 आरे 27 से 30 में खसरा नम्बर 630 की खातेदारी कजोड़ पुत्र सांवला के नाम दर्ज है। सम्वत 2045 से 48 व 57 से 60 में खसरा नम्बर 1126 की खातेदारी नाथू व लालचन्द पिता कजोड़ के नाम दर्ज है। उपर्युक्त प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे भूमि नाराणा के नाम से दर्ज रही हो। सांवला के नाम से भूमि दर्ज रही है। पुराने खसरा नम्बर 630 की खातेदारी सम्वत 2015 से 30 तक कजोड़ वुत्र सांवला के नाम दर्ज रही है तथा उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम रही है। प्रार्थीया के पिता भींवाराम का नाम उक्त भूमियों में कहीं दर्ज नहीं है। सम्वत 2011 से 14 की जमाबंदी में खसरा नम्बर 630 व 465 की खातेदारी सांवला पुत्र नाराणा के नाम दर्ज है जिसमें ख0 नं0 465 के बाबत प्रार्थीया ने अपने कथनों को कुछ भी अंकित नहीं किया है कि खसरा नम्बर 465 की खातेदारी किसके नाम से

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

है । सम्वत 2015 से 30 तक खसरा नम्बर 630 की खातेदारी कजोड़ पुत्र सांवला के नाम से रहीं है जिसे प्रार्थीया द्वारा या उसके पिता भींवाराम द्वारा कभी चैलेन्ज नहीं किया गया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीया खसरा नम्बर 754 में अपने हक अधिकार तय करवाने की हकदार प्रतीत होती है। इस प्रकार विवादित खसरा नम्बर 1126 एवं जिसके नये खसरा नम्बर 2645/1126 व 2644/1126 वाके ग्राम रघुनाथगढ की भूमि पर प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला कतई प्रमाणित नहीं है। खसरा नम्बर 754 वाके ग्राम नाडा की ढाणी पर उसका प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

2. **सुविधा का संतुलन** – विवादित खसरा नम्बर 1126 एवं जिसके नये खसरा नम्बर 2645/1126 व 2644/1126 वाके ग्राम रघुनाथगढ की भूमि पर प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला कतई प्रमाणित नहीं है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित है। खसरा नम्बर 754 वाके ग्राम नाडा की ढाणी पर सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में बनता है।
3. अपूर्णिय क्षति – विवादित खसरा नम्बर 1126 एवं जिसके नये खसरा नम्बर 2645/1126 व 2644/1126 वाके ग्राम रघुनाथगढ की भूमि पर प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला कतई प्रमाणित नहीं है जिसके कारण इन भूमियों पर प्रार्थीया को कोई अपूर्णिय क्षति नहीं होती है। खसरा नम्बर 754 वाके ग्राम नाडा की ढाणी पर अवश्यक उसे क्षति हो सकती है।
4. निष्कर्ष– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 ने खातेदारों से भूमि विधिवत क्रय की है तथा वर्तमान में खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसे बिना किसी प्रमाणित आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खसरा नम्बर 2645/1126 व 2644/1126 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील व जिला सीकर का प्रमाणित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। खसरा नम्बर 754 वाके ग्राम नाडा की ढाणी तहसील व जिला सीकर की भूमि बाबत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे तादौराने वाद भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 1.08.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

1/8/22

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर